सं0– 406/उन्तीस(2)/08–2(36पे0)/2002

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी 2008

विषयः– राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून सीवरेज योजना जोन–ई के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक देहरादून सीवरेज योजना जोन ई अनु0लागत रू0 360.46 लाख के मूल प्राक्कलन पर शासनादेश संख्या 931/नौ–2–पे0/2003, दिनांक 02.06.03 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही रू0 60.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या 2967/नौ–2(46पे0)/2003, दिनांक 16.01.04 द्वारा रू0 93.61 लाख, शासनादेश संख्या 2346/उन्तीस/04–2 (46पे0)/04, दिनांक 06.11.04 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या 618 उन्तीस (2)/05–2(46पे0)/04, दिनांक 29.08.05 द्वारा रू0 25.00लाख, शासनादेश संख्या 480 उन्तीस(2)/06–2 (46पे0)/04, दिनांक 28.02.06 द्वारा रू0 18.16 लाख शासनादेश संख्या 747/उन्तीस(2)/06–2(46पे0)/04, दिनांक 28.03.06 द्वारा रू0 29.89 लाख तथा शासनादेश संख्या 1550/उन्तीस(2)/06– 2(63पे0)/06, दिनांक 14.08.06 द्वारा रू0 33.80 लाख अर्थात योजना के मूल प्राक्कलन की स्वीकृत लागत की धनराशि कुल रू0 360.46 लाख अवमुक्त किये गये। अब शासन को उपलब्ध कराये गये योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन सम्बंधी आपके कार्यालय पत्रांक 76/अप्रैजल–देहरादून/ दिनांक 08.01.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना के पुनरीक्षित प्राककलन अनु0लागत रू0 469.45 लाख पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि अनु0लागत रू0 458.88 लाख (रू0 चार करोड अटठावन लाख अट्ठासी हजार मात्र) के प्राक्कलन पर प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्साण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02. 1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चोर्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, का होगा ।

क्रमशः 2

3–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता हैं तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

4– उक्त लागत से पूर्व कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा, यदि यह होता है तो उसे पेयजल निगम के द्वारा अपने ही संसाधनों से वहन किया जायेगा।

5– उपरोक्त के अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 13/XXVII–2/2008 दिनांक 19 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

सं0– /उन्तीस(2)/08–2(36पे0)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2–आयुक्त गढ़वाल।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6–सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7–वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8–निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9–स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
10–श्री एल0 एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग ।
11–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
12–निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नवीन सिह तड़ागी)
उप सचिव